


► पिथौरागढ़ फोर्ट में अलग-अलग माप के दुकानों हेतु निविदादाता को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है:-

क्रम	दुकान का नं० एवम् माप	क्षेत्रफल
01	दुकान संख्या 01 (2.67x2.40)	6.41 वर्ग मी०/68.97 वर्ग फिट
02	दुकान संख्या 02 (4.68x4.85)	22.70 वर्ग मी०/244.25 वर्ग फिट
03	दुकान संख्या 03 (2.35x4.85)	11.40 वर्ग मी०/122.66 वर्ग फिट
04	दुकान संख्या 04 (3.60x3.60)	12.96 वर्ग मी०/139.45 वर्ग फिट
05	दुकान संख्या 05 (3.60x3.60)	12.96 वर्ग मी०/139.45 वर्ग फिट
06	दुकान संख्या 06 (3.60x4.85)	17.46 वर्ग मी०/187.87 वर्ग फिट
07	दुकान संख्या 07 (4.95x6.40)	31.68 वर्ग मी०/340.88 वर्ग फिट

- 01 प्रत्येक दुकान हेतु निविदा केवल मान्यता प्राप्त एन०जी०ओ० / व्यक्ति (जो भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार/अन्य संस्था में पंजीकृत) को ही विक्रय की जायेगी।
- 02 निविदा प्रपत्र रु० 2,000.00 (रुपया दो हजार मात्र) का भुगतान कर निगम मुख्यालय तथा पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 03 सम्बन्धित कार्यों की धरोहर धनराशि रु० 10,000.00 (रुपये दस हजार) मात्र निर्धारित प्रारूप में (**Bank Draft/एफ०डी०आर०/कॉल डिपोजिट** के रूप में प्रबन्ध निदेशक, कुम०धी०विन०ि० के नाम बन्धक होनी चाहिए) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
04. अनुबन्ध गठन करने के साथ ही दिनांक 01.03.2019 से क्राफ्ट शॉप का संचालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा दुकान नियमानुसार दूसरे निविदादाता को दे दी जायेगी। तथा दुकान का किराया दिनांक 01.03.19 से लागू हो जायेगा, जिसमें किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं होगा।
05. उक्त दुकानों (क्राफ्ट सेन्टर) में स्थानीय उत्पाद या उत्पादों से निर्मित वस्तुओं का ही विक्रय किया जायेगा।
06. दुकान हेतु न्यूनतम किराया रु० 20 प्रति वर्ग फिट (रु० 215 प्रति वर्ग मी०) की दर से निर्धारित किया गया है (जी०एस०टी० अतिरिक्त)।
07. अलग-अलग दुकानों हेतु निविदाएँ अलग-अलग आवेदन पत्रों में ही मान्य होंगी।
08. दुकान हस्तान्तरण का अधिकार प्रबन्ध निदेशक महोदय को ही होगा।
09. दुकानों के संचालन के लिये विद्युत आपूर्ती हेतु विद्युत संयोजन एवम् विद्युत किराया निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किया जाना होगा।
10. किराये की दरें प्रत्येक वर्ष में 10% की दर से बढ़ायी जायेंगी। प्रारम्भ में दुकाने पाँच वर्ष हेतु किराये पर दी जायेगी तथा दोनों पक्षों की सहमति उपरान्त समय वृद्धि की जा सकती है।
11. सफल निविदादाता को दुकान के संचालन हेतु एक या दो कर्मचारियों के ही किले (फोर्ट) में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
12. क्राफ्ट सेन्टर का समय प्रातः 10:00 से साँच्य 5:00 अथवा निगम द्वारा तैनात प्रबन्धक द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
13. सफल निविदादाता को अनुबन्ध गठन से पूर्व जमानत धनराशि के रूप में 4 माह का किराया (एडवान्स) जमा करना अनिवार्य होगा, साथ ही प्रत्येक माह का किराया 05 तारीक तक जमा करना अनिवार्य होगा तत्पश्चात रु० 500.00 प्रतिदिन की दर से जुमाना लगाया जायेगा तथा 25 दिन तक किराया जमा ना करने की दशा में अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
14. सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध गठन से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 01.03.2019 से पूर्व पूर्ण कर लेना अनिवार्य है।
15. निविदा के साथ आयकर/बिक्रीकर अद्येता प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
16. अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
17. सफल निविदादाता को दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं होगी तथा दुकान के भीतर भी निगम की सहमति के उपरान्त ही ग्लास एवम् बुड़ का कार्य किया जायेगा।
18. अपूर्ण, सर्वत एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी।
19. निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
20. निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदाकर्ता अथवा फर्म को निविदा प्रपत्र में उपलब्ध कराये गये प्रपत्र- I (तकनीकी निविदा) जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति अथवा संस्था को निविदा में प्रतिभाग करने के लिए न्यूनतम अहर्ताओं का विवरण अंकित करना होगा तथा प्रपत्र- II (वित्तीय निविदा) पृथक-पृथक लिफाफों में बन्द कर उनके बाहर से लिफाफों में निविदाकर्ता अथवा संस्था का नाम व प्रपत्र- I व प्रपत्र- II का अंकन करते हुए दोनों ही लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर एक बड़े लिफाफे के बाहर से कुमाऊँ मण्डल विकास निगम हेतु निविदा शीर्षक अंकित कर व्यक्तिगत रूप से निगम मुख्यालय में निर्धारित तिथि को निविदा बॉक्स में डाला जा सकता है। निविदा हेतु नियत तिथि दिनांक 15.02.19 को नियत समय अपराह्न 3:00 बजे के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. निविदा के साथ रु० 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प ऐपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रु० 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
22. निविदा के साथ PAN एवम् GSTIN पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
23. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात शासनादेश के अनुसार स्टाम्प ढ्यूटी लगाना अनिवार्य है।
24. उपरोक्त निविदाओं में कोई भी फेर बदल, शुद्धिपत्र या समय वृद्धि होगी तो उसकी पूर्ण जानकारी [www.kmvn.gov.in](http://www.kmvn.gov.in) पर अपलोड की जायेगी (समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जायेगी)।

- ❖ परिसर शुल्क (शैचालय की सफाई तथा अन्य शुल्क के खर्च एवम् भवनों में मरम्मत, रंग-रोगन की लागत) रु० 800.00 प्रतिमाह किराये के अतिरिक्त अलग से देय होगा।
- ❖ निविदादाता दुकानों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी/निरीक्षण करना चाहें, प्रबन्धक, पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ से सम्पर्क कर सकते हैं।



( ALL DIMENSIONS ARE IN METER )